



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 2021/2008

रविंद्र कुमार पाराशर एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद् एवं अन्य



निर्णय उद्धोषणा हेतु प्रकरण दिनांक 12.08.2009 को सूचीबद्ध करें।

सही/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 2021/2008

याचिकाकर्तागण :

1. रविंद्र कुमार पाराशर, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता श्री आर.एन. पाराशर, अधिवक्ता, पंजीकरण दिनांक 02.11.2000, जिला एवं सत्र न्यायालय, कोरबा में विधि व्यवसायी, निवासी- दीपत देव मंदिर के पास, मुख्य मार्ग, कोरबा, छत्तीसगढ़। (राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन 2007 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी क्रमांक 96)
2. प्रभाकर सिंह चंदेल, आयु लगभग 39 वर्ष, पिता श्री रामहरि सिंह चंदेल, अधिवक्ता, पंजीकरण दिनांक 28.02.1998, उच्च न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसायी, रिसौटाबाड़ा बिल्डिंग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। (राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन 2007 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी क्रमांक 75)
3. प्रहलाद कुमार तिवारी, आयु लगभग 71 वर्ष, पिता श्री डी.एन. तिवारी, अधिवक्ता, पंजीकरण दिनांक 03.05.1961, निवासी- तिवारी हाउस, दुर्गा मंदिर चौक, ब्राह्मणपारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। (राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन 2007 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी क्रमांक 76)
4. देवेश कुमार ठाकुर, आयु लगभग 41 वर्ष, पिता श्री जगदेव सिंह ठाकुर, पंजीकरण दिनांक 02.11.1995, बालोद में विधि व्यवसायी, निवासी- डौंडी लोहारा, बालोद, छत्तीसगढ़। (राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन 2007 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी क्रमांक 32)
5. प्रशांत तिवारी, आयु लगभग 42 वर्ष, पिता श्री पी.के.सी. तिवारी, पंजीकरण दिनांक 05.10.1987, जिला एवं सत्र न्यायालय, राजनांदगांव में विधि व्यवसायी, निवासी- चिखली, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। (राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन 2007 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी क्रमांक 79)

सभी याचिकाकर्तागण निर्वाचन याचिका में इसी क्रम में याचिकाकर्ता के रूप में सूचीबद्ध व्यवस्थित हैं।

विरुद्ध



**प्रत्यर्थी :**

1. छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद्, द्वारा सचिव, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

**प्रत्यर्थी क्र. 74:**

2. पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता, (अभ्यर्थी क्रमांक 73), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर में विधि व्यवसायी अधिवक्ता।

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका**

**न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

**उपस्थिति:**

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रजनीश बघेल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से श्री वीरेंद्र शर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से श्री एस.सी. वर्मा, अधिवक्ता।

**-- निर्णय -**


**(दिनांक 12.08.2009 को पारित)**

1. इस याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.03.2008 (अनुलग्नक पी/3) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अधिकरण ने याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया



कि याचिकाकर्तागण में से प्रत्येक याचिकाकर्ता न्यायालय शुल्क के रूप में 10,000/- रुपये की दर से संदाय करने के उत्तरदायी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए निर्वाचन दिनांक 19.07.2007 को आयोजित किया गया था और परिणाम दिनांक 16.11.2007 को घोषित किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद् के 25 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। याचिकाकर्तागण ने परिणाम की घोषणा से क्षुब्ध होकर, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद् निर्वाचन नियम, 2006 (संक्षेप में 'नियम, 2006') के नियम 31(1) और (2) के उपबंधों के अधीन अधिकरण के समक्ष एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्तागण ने निर्वाचन याचिका के साथ नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम (2) के अधीन विहित 10,000/- रुपये की राशि न्यायालय शुल्क के रूप में जमा की। अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए याचिका खारिज कर दी कि चूँकि पाँच याचिकाकर्ता थे, इसलिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को न्यायालय शुल्क के रूप में 10,000/- रुपये, कुल 50,000/- रुपये जमा करना आवश्यक है। तदनुसार, याचिका को इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया कि न्यायालय शुल्क में हुए कमी का संदाय दिनांक 29.03.2008 को या उससे पूर्व किया जाए।





3. वर्तमान प्रकरण में अंतर्वलित प्रश्न नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम (2) की व्याख्या से संबंधित है। नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम (1) और (2) निम्नानुसार पठित हैं:

"31. निर्वाचन की विधिमान्यता पर विवाद-

(1) कोई भी मतदाता, विधिज्ञ परिषद् को घोषित किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की विधिमान्यता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित और शपथ पत्र द्वारा समर्थित याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकता है, जिसे सचिव को व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाएगा या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ताकि वह निर्वाचन परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर उन तक पहुँच जाए।

(2) याचिका के साथ 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का शुल्क संलग्न होगा, जिसका संदाय नकद किया जाएगा या मनी ऑर्डर द्वारा भेजा जाएगा। यदि इसे मनी ऑर्डर द्वारा भेजा जाता है तो मनी ऑर्डर की रसीद याचिका के साथ संलग्न की जाएगी। यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा।"

4. नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम (2) के परिशीलन मात्र से यह प्रतीत होता है कि याचिका के साथ 10,000/- रुपये का शुल्क संलग्न होगा। यह याचिकाकर्तागण की संख्या पर निर्भर नहीं है। विद्वान अधिकरण ने यह अभिमत अपनाया है कि नियम, 2006 के नियम 31 का उपनियम (1) यह उपबंध करता है कि कोई भी मतदाता 10,000/- रुपये शुल्क के साथ याचिका प्रस्तुत कर किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की विधिमान्यता को चुनौती दे सकता है। चूँकि 5 याचिकाकर्तागण ने संयुक्त रूप से निर्वाचन याचिका





प्रस्तुत की है, इसलिए श्री अचिंत मिली एवं अन्य विरुद्ध असम राज्य एवं अन्य [ए.आई.आर. 1995 गुवाहाटी 1] के प्रकरण में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय का अवलंब लेते हुए उनमें से प्रत्येक को 10,000/- रुपये न्यायालय शुल्क देना आवश्यक है।

5. विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त निर्णय की कंडिका 3 पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए लिया गया अवलंब कि यद्यपि कई याचिकाकर्तागण द्वारा संयुक्त याचिका दायर की जा सकती है परंतु प्रत्येक याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय शुल्क देना होगा, गलत है। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय V-A पर विचार कर रही थी, जिसमें 1992 में एक अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालय नियमों में एक परंतुक जोड़ा गया था जो निम्नानुसार पठित है:

"5. 1992 में एक अधिसूचना द्वारा एक अन्य कंडिका जोड़ी गई जो इस प्रकार है:

'परंतु यह कि ऐसे एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से एक रिट याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें उनमें से प्रत्येक ऐसी याचिका पर देय न्यायालय शुल्क का संदाय करेगा।'

6. उपरोक्त प्रकरण में, एक से अधिक व्यक्ति (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एकल रिट याचिका में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा न्यायालय शुल्क के संदाय का स्पष्ट उपबंध था। वर्तमान प्रकरण में, नियम, 2006 के नियम 31 का उपनियम





(2) ऐसा कोई उपबंध नहीं करता है। नियम, 2006 के नियम 31 का उपनियम (1) एक समर्थकारी उपबंध है जिसमें प्रत्येक मतदाता को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की विधिमान्यता को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के लिए सक्षम बनाया गया है। नियम, 2006 के नियम 31 का उपनियम (2) प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय शुल्क के संदाय का उपबंध नहीं करता है, अपितु प्रत्येक 'याचिका' पर 10,000/- रुपये के संदाय का उपबंध करता है। 'याचिकाकर्ता' और 'याचिका' के बीच अंतर है। एक याचिका में कई याचिकाकर्ता हो सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि प्रत्येक याचिका के साथ 10,000/- रुपये का शुल्क संलग्न होगा। उपरोक्त उपबंध की कोई अन्य व्याख्या संभव नहीं है।

7. विधि की व्याख्या का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अधिनियम का उपबंध स्पष्ट और असंदिग्ध है तथा किसी विसंगति या निरर्थकता की ओर नहीं ले जाता है, तो शाब्दिक व्याख्या का अवलंब लेना चाहिए।

8. जुगलकिशोर सर्राफ विरुद्ध राँ कॉटन कंपनी लिमिटेड [ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 376] के में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि:

"6. ...संविधियों के निर्वचन का मुख्य नियम संविधि को शाब्दिक रूप से पढ़ना है, अर्थात् विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों को उनके सामान्य, स्वाभाविक और व्याकरणिक अर्थ देना। यदि, हालांकि, ऐसा पढ़ने से निरर्थकता पैदा होती है और शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए सुग्राही हैं



तो न्यायालय उसे अपना सकता है। परंतु यदि ऐसा कोई वैकल्पिक निर्वचन संभव नहीं है, तो न्यायालय को शाब्दिक व्याख्या के सामान्य नियम को अपनाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में नियम की शाब्दिक व्याख्या से कोई स्पष्ट निरर्थकता उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए, निर्माण के उस स्वर्ण नियम से हटने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं हो सकता है।"

9. उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने **पद्मा सुंदरा राव (मृत) एवं अन्य विरुद्ध तमिलनाडु राज्य एवं अन्य [(2002) 3 एस.सी.सी. 533]** के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया कि:

"12. संविधि के पुनर्लेखन और 'केसस ओमिस्सस' (विस्मृत प्रकरण) के संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी ऐसे वैधानिक उपबंध में कुछ भी नहीं जोड़ सकता जो स्पष्ट और असंदिग्ध है। संविधि विधायिका की एक उद्धोषणा है। संविधि में प्रयुक्त भाषा विधायी मंशा का निर्धारक कारक है। व्याख्या का प्रथम और प्राथमिक नियम यह है कि विधायिका की मंशा स्वयं विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में खोजी जानी चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या आशय रहा होगा, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। न्यायमूर्ति लर्नड हैंड ने कहा था "संविधियों का निर्वचन यूक्लिड के प्रमेयों की भाँति नहीं किया जाना चाहिए", "अपितु शब्दों का निर्वचन उन उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ किया जाना चाहिए जो उनके पीछे निहित हैं"। (देखें लेनी वैली कोल कंपनी विरुद्ध येनसावेज)। इस अभिमत की पुनरावृत्ति भारत संघ विरुद्ध फिलिप टियागो डी गामा ऑफ वेडेम वास्को डी गामा में की गई थी।"

10. **हरभजन सिंह विरुद्ध प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य [(2002) 3 एस.सी.सी. 722]** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि:





"7. ...विधायिका अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करती है। किसी उपबंध की व्याख्या करते समय प्रयुक्त शब्दों को सामान्य, व्याकरणिक और पूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए... विधायिका जो चाहती है उसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द चुनती है, और इसलिए, जब तक इसका परिणाम निरर्थकता या विसंगति न हो, शब्दों द्वारा व्यक्त मंशा को ही स्वीकार किया जाना चाहिए।"

11. **कुलदीप नैयर एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य [(2006) 7 एस.सी.सी.**

**1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित**

किया था:

"201.... हम निर्णय की ऊपर उद्धृत कंडिका में अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन और पुनरावृत्ति करते हैं। यह वांछनीय हो सकता है कि संवैधानिक उपबंधों की व्यापक एवं उदार व्याख्या की जाए, परंतु ऐसा करते समय "स्पष्ट अर्थ" या "शाब्दिक" निर्वचन के नियम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो कि "प्राथमिक नियम" बना हुआ है। वास्तव में, "शाब्दिक निर्वचन" का नियम ही सुरक्षित नियम है, जब तक कि प्रयुक्त भाषा विरोधाभासी, संदिग्ध न हो अथवा वास्तव में निरर्थक परिणामों की ओर न ले जाती हो।"

12. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भावनगर विरुद्ध सौराष्ट्र केमिकल लिमिटेड**

**[(2007) 10 एस.सी.सी. 352] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने**

निर्धारित किया कि:

"13. एक हितकारी संविधि पर उदारतापूर्वक विचार किया जा सकता है, लेकिन जहां एक संविधि एक से अधिक व्याख्याओं की अनुमति नहीं देती है, वहां शाब्दिक व्याख्या का ही अवलंब लिया जाना चाहिए।  
....."



13. निर्वाचन याचिका के आपत्तिकर्ता अर्थात् प्रत्यर्थी क्रमांक 74 को यहाँ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। निर्वाचन याचिका में अन्य प्रत्यर्थियों ने 10,000/- रुपये के संदाय पर आपत्ति नहीं की है और इसलिए, सभी प्रत्यर्थियों को पक्षकार के रूप में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं था।
14. वर्तमान प्रकरण में, जहाँ न्यायालय शुल्क के संदाय का प्रश्न अंतर्वलित है, प्रकरण के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, ऊपर बताए गए कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2008 (अनुलग्नक पी/3) अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्तागण नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित केवल 10,000/- रुपये शुल्क देने के उत्तरदायी हैं। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।